



2026:AHC:129013

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20017 वर्ष 2026

अंकित आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : जे. शुभम, जितेन्द्र कुमार मिश्रा

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज प्रस्तुत किया गया **अनुपूरक शपथ-पत्र** अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, थाना कादरीगेट, जनपद फर्रुखाबाद के मुकदमा अपराध संख्या 69/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) एवं 87 के अंतर्गत आवेदक की ओर से उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. सर्वप्रथम, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे यह भी कथन किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत अंकित पीड़िता के कथन के अनुसार, पीड़िता की आयु 18 वर्ष बताई गई है। इसके अतिरिक्त, पीड़िता ने अपने कथन में यह कहा है कि उसने स्वयं आवेदक को फोन किया था। पीड़िता ने अपने कथन में यह भी कहा है कि उसके और आवेदक के मध्य कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। उन्होंने आगे यह भी कथन किया कि आवेदक दिनांक 09.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।

6. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने हेतु मामला प्रमाणित कर दिया है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक -अंकित को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलके तथा समान राशि के दो-दो जमानतदारों की प्रस्तुति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसका वह अभियुक्त है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रखने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक यह वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता (तत्स्थानी धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता (तत्स्थानी धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता (तत्स्थानी धारा 209 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ, (2) आरोप-विरचन एवं (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (तत्स्थानी धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

24 जून, 2026

मनोज

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।